पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 14 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांकः–04–09–2022

दिनांक 03/04–09–2022 को रात्रि को वांछित में थाना चिनहट 05, बाजारखाला 01, अलीगंज 01, गाजीपुर 07 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 14 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पूर्वी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना आशियानाः–दिनांक 03.09.2022 को एस0आई0 श्री त्रिभुवन सिंह थाना आशियाना द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01–अमित कुमार पुत्र ज्योत प्रसाद निवासी सेक्टर ए–1–945 रिक्शा कालोनी थाना आशियाना लखनऊ को मानसरोवर जाने वाले रास्ते, अन्डरपास के पास थाना आशियाना से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना आशियाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 मध्य

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना बिजनौर–दिनांक 03.09.2022 को एस0आई0 श्री अरूण कुमार अवस्थी थाना बिजनौर द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01–अनूप पुत्र महताब सिंह मूलनिवासीः–ग्राम ईंट गांव थाना सिविल लाइन जनपद ईटावा, हालपता देशी शराब की दुकान मे कैंटीन ग्राम मुल्लाही खेडा थाना बिजनौर लखनऊ 02.सुनील कुमार पुत्र शत्रोहन लाल नाई निवासी ग्राम पकरिया थाना ईसागंज जनपद लखीमपुर, हालपताः–देशी शराब ठेका की कैंटीन ग्राम मुल्लाही खेड़ा थाना बिजनौर लखनऊ को मुल्लाही खेड़ा थाना बिजनौर से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से अवैध रूप से बिक्री करते हुए दो अदद प्लास्टिक के झोले मे क्रमशः 30 अदद व 26 अदद देशी मसालेदार देशी शराब के क्वार्टर (कुल 14 ली0) अवैध शराब बरामद कर थाना बिजनौर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना सुशान्तगोल्फ सिटी–दिनांक 03.09.2022 को एस0आई0 श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता थाना सुशान्त गोल्फ सिटी द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01–देशराज रावत पुत्र प्रदीप रावत निवासी–कुल्ली खेड़ा अहमामऊ थाना सुशान्तगोल्फ सिटी लखनऊ को ईमार के पिछले गेट के पास नाले के किनारे ग्राम सरसंवा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना सुशान्तगोल्फ सिटी पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना नगराम–दिनांक 03.09.2022 को हे0का0 ललित कुमार सिंह थाना नगराम द्वारा मय हमराही के दौराने गस्त अभियुक्त 01–अक्षय कुमार पुत्र दिलीप थाना नगराम लखनऊ को भजाखेड़ा भट्ठा के पास ग्राम भजाखेड़ा थाना नगराम से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 08 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना नगराम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना नगराम–दिनांक 03.09.2022 को म0एस0आई0 कीर्ति सिंह थाना नगराम द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01–हरिराम पुत्र स्व0 पूर्णमासी निवासी–थाना ग्राम सिरौना थाना नगराम लखनऊ को मुकुन्दखेड़ा मोड़ ग्राम सिरौना, नगराम से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 02 अदद सफेद प्लास्टिक की पिपिया में 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना नगराम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना नगराम–दिनांक 03.09.2022 को का0 मकसूद थाना नगराम द्वारा दौराने गस्त अभियुक्त 01–अवधराज पुत्र भगवादीन निवासी–ग्राम ममईमऊ थाना नगराम, लखनऊ को ग्राम ममईमऊ पुल के पास, नगराम से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना नगराम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना गोसाईगंज–दिनांक 03.09.2022 को एस0आई0 श्री मनिन्दर सिंह थाना गोसाईगंज द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01–समशेर पुत्र रामसनेही निवासी–मलौली थाना गोसाईगंज लखनऊ को हरदासपुर तिराहा ग्राम हरदासपुर थाना गोसाईगंज से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 05 ली0 अवैध शराब बरामद कर थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

एक्सीडेंट।

थाना हजरतगंज–दिनांक 04.09.2022 को थाना हजरतगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री उत्सव उपाध्याय पुत्र विजय प्रकाश उपाध्याय निवासी–कृष्णा कालोनी–2 देवकाली जनपद अयोध्या हालपता–सी6/02 पंचशील अपार्टमेंट गोमतीनगर लखनऊ ने थाना हजरतगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 03.09.2022 को समय करीब 12.10 बजे रात्रि को वादी व मोहित तिवारी और प्रखर सक्सेना अपनी–अपनी मोटरइकिल से परिवर्तन चौक से अटल चौक की तरफ जा रहे थे, कि प्रखर सक्सेना कि मोटरसाइकिल को एक सफेद रंग की कार के चालक द्वारा गाड़ी को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए जोरदार टक्कर मार दिया जिसे प्रखर सक्सेना की मोटरसाइकि सड़क के लगे डिवाइडर से टकरा गयी, जिससे वादी का दोस्त प्रखर सक्सेना मोटरसाइकिल से उछलकर दूर गिर गया, और गम्भीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल हजरतगंज ले जाया गया जहां पर डाक्टरों द्वारा वादी के मित्र प्रखर सक्सेना उम्र करीब 25 वर्ष को मृत घोषित कर दिया गया। **इस सूचना थाना हजरतगंज पर मु0अ0सं0 312/2022 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री राजकुमार यादव थाना हजरतगंज द्वारा की जा रही है।**